रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 19 अप्रैल, 2004/30 चैत्र, 1926

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, शिमला

अधिसूचना

शिमला, 5 अप्रल, 2004

संख्या एच० पी० ई० आर० सी०/609-बी.—हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व प्रकाशन के उपरान्त, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत ओम्बुडसमैन (अधिकारी तथा कर्मचारीवृन्द सेवा, निबन्धन तथा शत) विनियम, 2004 है।

(2) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**.—इन विनियमों, में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;
(2) "नियुक्ति प्राधिकारी" से विद्युत ओम्बुडसमैन अभिप्रेत है ;
(3) "अध्यक्ष" से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
(4) "आयोग" से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;
(5) "विद्युत ओम्बुडसमैन" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अधिनियम की धारा 42(6) के अधीन आयोग द्वारा नियुक्त किया जाए;
(6) "प्ररूप" से इन विनियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;
(7) "चयन समिति" से वह समिति अभिप्रेत है, जो विद्युत ओम्बुडसमैन के कार्यालय में पदों को भरने के लिए सिफारिश करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार बनाई जाए ;
(8) "राज्य विद्युत बोर्ड" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के प्रारम्भ से पूर्व, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए गठित राज्य विद्युत बोर्ड अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत उसका हित उत्तराधिकारी भी शामिल है ;
(9) अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इन विनयिमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो कि उन्हें अधिनियम में क्रमशः नियत किया गया है।

3. **पदों के प्रवर्ग, वेतनमान तथा भत्ते**.—(1) विद्युत ओम्बुडसमैन के कार्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के पदों के प्रवर्ग, वेतनमान तथा संख्या वही होगी जैसे अनुसूची–1 में दर्शित है।

(2) तत्समानी वेतनमान जब कभी राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित किए जाते हैं तब आयोग भी वेतनमान पुनरीक्षित कर सकेगा ।

(3) ऐसे मापमान पर तथा ऐसे निबन्धनों के अध्याधीन, जो राज्य विद्युत बोर्ड समय-समय पर अपने कर्मचारियों को लागू करे, विद्युत ओम्बुडसमैन के अधिकारी तथा कर्मचारी –

(क) मंहगाई भत्ता, नगर प्रतिकारात्मक भत्ता, राजधानी भत्ता, वाहन भत्ता, सचिवालयिक/विशेष भत्ता, विद्युत तथा मकान भत्ता लेने;
(ख) गृह यात्रा/अवकाश यात्रा रियायत, समाचार पत्र और पत्रिका सुविधा प्राप्त करने; तथा
(ग) चिकित्सीय व्यय तथा आवासिक टैलीफोन की प्रतिपूर्ति का दावा करने के हकदार होंगे ।

(4) अनुसूची–1 में दर्शित अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या, पदों के सृजन का अनुमोदन समझी जाएगी ।

4. **भर्ती की अर्हताएं, अनुभव तथा रीति**.—(1) प्रत्येक पद के लिए शैक्षणिक आर्हताएं तथा अनुभव वही होगा जैसे की अनुसूची–2 में विहित किया गया है ।

(2) विद्युत ओम्बुडसमैन के अधिकारी तथा कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर, या संविदात्मक आधार पर, विद्युत ओम्बुडसमैन द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

5. **प्रतिनियुक्ति**.—(1) विद्युत ओम्बुडसमैन, पद रिक्त होने पर, सरकारी विभाग या केन्द्र या राज्य सरकार के अधीन पब्लिक सैक्टर उपक्रम या अन्य स्वशासी निकाय के अधिकारियों व कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति पर भर सकेगा ।

(2) सेवा प्रसुविधाओं के योजन के लिए, सरकार या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या अन्य स्वशासी निकाय से इन विनियमों के अधीन प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों का सेवाकाल चलत सेवा माना जाएगा ।

(3) केन्द्र सरकार, या यथास्थिति राज्य सरकार, द्वारा विहित मानक नियन्धन व शर्तें वेतन नियतन को विनियमित करेंगी ।

(4) इन विनियमों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर सेवा ग्रहण करने वाले व्यक्ति द्वारा अपने पद ग्रहण की तारीख को मूल निबन्धनों व शर्तों के अनुसार बकाया उधारों, अग्रिमों तथा अन्य राशियों का प्रतिसंदाय करने के लिए, या अन्यथा सरकार से या, पब्लिक सैक्टर उपक्रम से या स्वशासी निकाय से की गई वचन बाध्यताओं को पूरा करने के लिए, विद्युत ओम्बुडसमैन से, या यथास्थिति नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी से, करार किया गया समझा जाएगा ।

(5) प्रतिनियुक्ति पर पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति अपने उस भविष्य निधि, जिसमें वे मूल विभाग में अभिदात थे, में अभिदाय करने के पात्र होंगे । यदि प्रतिनियुक्ति व्यक्ति अभिदायी भविष्य निधि का सदस्य है, तो प्रत्येक मामले में यथा लागू नियोजक अभिदाय पर व्यय का वहन विद्युत ओम्बुडसमैन के कार्यालय व्यय के रूप में किया जाएगा ।

(6) यह होते हुए भी किसी ने अपनी प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी नहीं की है, विद्युत ओम्बुडसमैन को, यह अवधारित करने पर कि उक्त व्यक्ति की सेवाएं अब उसके कार्यालय में वांछित नहीं है, किसी भी प्रतिनियुक्त व्यक्ति को मूल विभाग में प्रत्यवास्त करने का विवेकाधिकार होगा ।

6. **संविदात्मक नियुक्तियां**.—(1) अनुभवी व अर्हताप्राप्त अभ्यर्थी अभिप्राप्त करने हेतु, अधिकारियों और कर्मचारियों के रिक्त पद, जो प्रतिनियुक्ति पर न भरे जा सकें हो, संविदात्मक आधार पर उचित व्यक्तियों की नियुक्ति, जो 2 वर्ष से अधिक न हो, से भी भरे जा सकेंगे ।

(2) संविदात्मक भर्ती की दशा में प्रत्येक मामले में समेकित वेतन पैकेज विनिश्चन किया जाएगा और वह संविदा की अवधि के दौरान नियत रहेगा ।

(3) जब नियुक्ति प्राधिकारी किसी संविदा का विस्तार या नविकरण करना विनिश्चित करता है, तो पारिश्रमिक उसके विवेकानुसार पुनरीक्षित किया जा सकेगा ।

(4) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति की सेवाएं, ठोस और पर्याप्त कारण अभिलिखित करके, एक महीने की सूचना (नोटिस) देने या इसके बदले में वेतन पैकेज की अदायगी करके, समाप्त की जा सकेगी ।

(5) अधिवार्षता सेवा निवृत्त व्यक्ति केवल संविदात्मक नियुक्ति के पात्र होंगे और संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् सेवारत नहीं रहेंगे ।

7. **चयन समिति**.—(1) विभिन्न पदों पर नियुक्तियां, चाहे वे प्रतिनियुक्ति पर या संविदात्मक आधार पर की जानी हो, चयन समति की सिफारिश से की जाएगी ।

(2) चयन समिति का निम्न गठन होगा :—

(क) उप-निदेशक, सहायक निदेशक तथा निजि सचिव के पद के लिए :—

(1) विद्युत ओम्बुडसमैन (पीठासीन)
(2) आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति,

(ख) अन्य पदों के लिए :—

(1) विद्युत ओम्बुडसमैन (पीठासीन)
(2) उप-निदेशक
(3) सहायक निदेशक

(3) चयन समिति अपनी सहायता के लिए एक या दो विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकेगी।

8. **नियुक्ति प्रक्रिया**.—(1) प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां, भावी अभ्यर्थियों को, अपनी-अपनी विशिष्टियां सहित, आवेदन देने के लिए, कम से कम 8 (आठ) सप्ताह का समय देते हुए, नौकरी की अपेक्षाओं, वांछित शैक्षणिक एवं व्यवसाहिक आर्हताओं, वेतन संरचना इत्यादि के पूर्ण ब्यौरे सहित, केन्द्रीय/राज्य सरकारी विभागों, केन्द्रीय/राज्य सरकार के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों तथा अन्य स्वशासी निकायों में परिचलित की जाएगी। किन्तु विवशनीय परिस्थितियों में, कारण अभिलिखित करके, यह अवधि घटा कर 6 (छ) सप्ताह तक की जा सकेगी।

(2) ऐसे विज्ञापन/परिपत्र के साथ आवेदन देने की अन्तिम तारीख तथा उन स्थानों का ब्यौरा, जहां पर चरित्र/आयु/अधिवास/शैक्षणिक आर्हताओं के वांछित प्रमाण-पत्र पेश करने हैं तथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथाविहित आवेदन रूपविधान भी अधिसूचित/परिचालित किया जाएगा।

(3) राज्य सरकार की नीति अनुसार विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के लिए रिक्तियां आरक्षित होंगी।

(4) विहित अवधि के भीतर प्राप्त आवेदन चयन समिति के आगे रखे जाएंगें। प्रारम्भिक संमीक्षा के दौरान व्यष्टिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन-पत्र के विभिन्न स्तम्भों में दिए गए ब्यौरे को सारनीबद्ध रूप में उपदर्शित किया जाएगा और अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन-पत्रों के साथ संलग्न शंसापत्रों व प्रमाण-पत्रों का ब्यौरा, यह दर्शाते हुए कि अभ्यर्थी पात्रता मानदण्ड की पूर्ति करता है/या नहीं करता है, का भी उल्लेख किया जाएगा।

(5) उक्त सूचना के आधार पर चयन समिति, 7 दिन की कालावधि के भीतर, चयन प्रक्रिया की आगामी कार्रवाई विनिश्चित करेगी। यह उन अभ्यर्थियों को, जो लगते हैं कि नौकरी की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, वैयक्तिक साक्षात्कार/परीक्षा के लिए बुला सकेगी, या कारण अभिलिखित करके आवेदन-पत्रों के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर उनका चयन कर सकेगी।

(6) चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा और चयन समिति द्वारा बनाई गई चयन सूचि (मैरिट लिस्ट) विद्युत ओम्बुडसमैन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी। पैनल पर रखने के लिए चयन समिति उन अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर सूची भी बनाएगा जिन्हें उस स्थिति में जब कभी युक्तियुक्त समय के भीतर सफल अभ्यर्थी नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है, नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सके।

(7) सामान्यतः पैनलित अभ्यर्थियों की संख्या 3 (तीन) से अधिक नहीं होगी और पैनल चयन के परिणाम की घोषणा की तारीख से 6 (छः) मास के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेगा।

(8) उचित अभ्यर्थियों के न मिलने की दशा में यदि चयन प्रक्रिया पुनः प्रवर्तित की जाती है, तो उपरी सूचीबद्ध समस्त प्रक्रिया का पुनः अनुसरण किया जाएगा।

9. **नियुक्तिपर्यन्त औपचारिकताएं**.—(1) सफल अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति के बारे में रजिस्टर्ड डाक/स्पीड़ पोस्ट द्वारा सूचित किया जाएगा तथा उन्हें पद ग्रहण करने के लिए 2 (दो) सप्ताह का समय दियव जाएगा और उस दशा में यदि वे नियत समय में पद ग्रहण करने में असफल रहते हैं तो नियुक्ति प्रस्ता रद्द हो जाएंगें किन्तु। उपयुक्त मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी, कारणों को अभिलिखित करके इस शर्त क युक्तियुक्त कालावधि तक शिथिलीकारण कर सकेगा।

(2) नियुक्ति प्रस्ताव के अनुसरण में नियुक्ति पत्र केवल चयनित अभ्यर्थी द्वारा विद्युत ओम्बुडसमैन के कार्यालय में सक्षम अधिकारी को शैक्षणिक/अनुभव/आधिवास तथा जाति के विभिन्न प्रमाण-पत्रों की असली प्रतियां प्रस्तुत करने पर ही भेजा जाएगा। नियुक्ति प्रस्ताव के जारी होनें की तारीख से दो सप्ताह के भीतर ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की असफलता नियुक्ति प्रस्ताव को रद्द करने का कारण बनेगी।

(3) नियुक्तियों के रद्द करने के ऐसे मामलों में, अगले पैनलित अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रस्ताव उसी रीति जिसमें मूल चयनित अभ्यर्थी को भेजा गया था, से भेजा जाएगा।

10. **आचरण वर्गीकरण नियन्त्रण तथा अपील नियमों का लागू होना.**—(1) उन व्यक्तियों, जो भारत सरकार या अन्य सरकारों/संगठनों से प्रतिनियुक्ति हैं जिन्हें उनके तत्स्थानी नियम लागू होंगे, को छोड़कर विद्युत ओमबुडसमैन के कार्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को लागू किए गए सैन्ट्रल सिविल सर्विस कन्डक्ट रूल्ज, 1964 तथा सैन्ट्रल सिविल सर्विस (कलासीफिकेशन, कन्ट्रोल एण्ड अपील) रूल्ज, 1965 के उपबन्ध लागू होंगे ।

(2) विद्युत ओम्बुडसमन अपने कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों का नियुक्ति प्राधिकारी एवं अनुशासनिक प्राधिकारी होगा तथा अध्यक्ष उनका अपील/पुनर्विलोकन प्राधिकारी होगा ।

(3) अन्य सेवा मामलों मे. जिनका इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में उल्लेख नहीं है, आयोग के या हिमाचल प्रदेश के या भारत सरकार के सेवा नियम विनियम जैसे आयोग विनिश्चित करे, लागू होंगे ।

11. **निर्वाचन.**—यदि इन विनियमों के निर्वाचन का कोई प्रश्न उठता है, तो आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

12. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.**—यदि इन विनियमों के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग द्वारा, ऐसे उपबन्धित करेगा या ऐसे निर्देश देगा, जो इन विनियमों के उपबन्धों से असंगत न हों और कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परन्तु इस विनियम के अधीन कोई आदेश इन विनियमों के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं दिया जाएगा ।

आयोग के आदेश द्वारा,

वी0 एस0 बक्शी
सचिव ।

अनुसूची—1

(विनियम 3 देखें)

विद्युत ओम्बुडसमैन के कार्यालय में पदों के प्रवर्ग, वेतनमान तथा संख्या

पदनाम 1	संख्या 2	वेतनमान 3
अधिकारी :		
उप-निदेशक	1	12500–400–14900–450–17600–500–19100.
सहायक निदेशक	1	7750–250–8000–275–9100/10350–350–12100–400 14500 (8550 रूपय प्रारम्भिक वेतन) ।
कर्मचारी :		
निजी सचिव	1	7750–250–8000–275–9100–300–10000–350–12100–400–13300.
वरिष्ठ स्टैनोग्राफर	1	6750–250–8900–275–9100–300–10000–350–11050.
वरिष्ठ सहायक	1	6300–200–6500–250–8000–275–9100–300–10000–350–10700.

1	2	3
कनिष्ठ सहायक	1	4600-175-5300-200-6500-250-7250.
चालक	1	4600-175-5300-200-6500-250-7250.
जमादार/हवलदार	1	2930-110-3480-130-4000-150-4600-175-5300.
चपड़ासी	1	2720-100-2930-110-3480-130-4000-150-4600-175-4775.

अनुसूची-2

(विनियम 4 देखें)

विद्युत ओम्बुडसमैन के कार्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अर्हताएं

पदनाम 1	अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिणिक अर्हताएं 2	वांछनीय अतिरिक्त अर्हताएं 3
उप-निदेशक	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल/पावर ईंजीनियरी में स्नातक या उसके समकक्ष उपाधि; (ख) किसी बड़े लोक-उपयोगिता उपक्रम में विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण सुविधाओं का 7 (सात) वर्ष का अनुभव, (ग) सदृश पद पर उपरोक्त अनुभव रखने वाले कार्यरत अधिकारी; या उपरोक्त अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किसी केन्द्रीय सरकार पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या राज्य सरकार पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/केन्द्रीय/राज्य सरकारों में 7750-14500 रूपये (प्रारम्भिक वेतन 8550 पर) या इसके समतुल्य वेतन-मान में 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा ; (घ) समुचित लिखित तथा मौखिक संसूचना में, कुशलता : (ड़) प्रभावी कम्पयुटर साक्षरता एवं कुशलता	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल/पावर ईंजीनियरिंग या विनिजमन में स्नातकोत्तर उपाधि या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत प्रबन्धन में एम0 बी0 ए0 की उपाधि ; (ख) वितरण प्रणाली जिसके अर्न्तगत तिवरण प्रणाली के वाणिज्यिक पहलु (मीटरिंग, बिल बनाने तथा प्रभारों की वसूली इत्यादि) भी है, के प्रवर्त्तन तथा अनुरक्षण का अनुभव ; (ग) विद्युत विधियों का ज्ञान।
सहायक निदेशक	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल/पावर ईंजिनियरी में स्नातक या उसके समकक्ष उपाधि; (ख) किसी वड़े लोक-उपयोगिता उपक्रम में विद्युत उत्पादन पारेषण तथा वितरण सुविधाओं का 3 (तीन) वर्ष का अनुभव या	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल/पावर ईंजीनियरिंग या विनिजमन में स्नातकोत्तर उपाधि या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत प्रबन्धन में एम0 बी0 ए0 की उपाधि ; (ख) वितरण प्रणाली, जिसके अर्न्तगत वितरण प्रणाली के वाणिज्यिक पहलु (मीटरिंग, बिल बनाने

1	2	3
	उक्त अनुभव रखने वाला सदृश पद पर कार्यरत अधिकारी;	तथा प्रभारों की वसूली इत्यादि) भी है, के प्रवर्तन तथा अनुरक्षण का अनुभव ;
	(ग) समुचित लिखित तथा मौखिक संसूचना में कुशलता ;	(ग) विद्युत विधियों का ज्ञान
	(घ) प्रभावी कम्पयूटर साक्षरता एवं कुशलता	
निजी सचिव	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि;	(क) केन्द्र/राज्य सरकार या किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम/कानूनी निकाय में विभागाध्यक्ष के साथ 5 (पांच) वर्ष निजि सहायक के रूप में अनुभव ;
	(ख) कम्पयूटर वर्ड प्रासैसिंग में माहिर;	
	(ग) अशुलिपि एवं टंकण में प्रवीणता	
	(घ) केन्द्र/राज्य सरकार/पब्लिक सैक्टर उपक्रम में सदृश पद पर सेवा या उपरोक्त अनुभव के साथ 7250–11500 या इसके समतुल्य वेतनमान के पद पर 3 (तीन) वर्ष का अनुभव	(ख) कार्यालय प्रबन्धन तथा सचिवालयिक प्रक्रिया में डिप्लोमा।
वरिष्ठ स्टैनोग्राफर	(क) स्नातक उपाधि के साथ टंकण में 40 (चालिस) शब्द प्रति मिनट, आशुलिपि लेखन में 80 (असी) शब्द प्रति मिनट, तथा कम्पयूटर टंकण में 8000 (आठ हजार) के0 डी0 प्रति मिनट (के0 डी0 पी0 एम0) की गति में दक्षता ;	(क) मान्यता प्राप्त/विख्यात संस्थान से प्रबन्धन एवं सचिवालयिक प्रक्रिया में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र या उसके समकक्ष :
	(ख) मान्यता प्राप्त संस्थान से टंकण तथा आशुलिपि लेखन में डिलोमा ;	
	(ग) केन्द्र/राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर उपक्रम में सदृश पद पर कार्यरत कर्मचारी या केन्द्र/राज्य सरकार/पब्लिक सैकटर उपक्रम/कानूनी निकायों, जिनमें कम्पयूटर प्रचालन अभिदर्शित होता हो, में 6100–9450 के वेतनमान के पद पर 3 (तीन) वर्ष का अनुभव ;	
वरिष्ठ सहायक	(क) स्नातक उपाधि के साथ टंकण, कम्पयूटर टंकण, प्ररुपण, लेखा/वित्तीय मामलों तथा कार्यालय प्रक्रिया में दक्षता ;	(क) कार्यालय प्रबन्धन या कार्मिक प्रबन्धन में डिप्लोमा ;
	(ख) शासकीय नियमों, विनियमों तथा कार्यालय अभिलेखा अनुरक्षण में दक्षता ;	(ख) कम्पयूटर एपलिकेशन कोर्स में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र या कम्पयूटर प्रचालन में कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव ;
	(ग) केन्द्र/राज्य सरकार/पब्लिक सैकटर उपक्रम में सदृश पद पर सेवा या केन्द्र सरकार	

1	2	3
	पब्लिक सैकटर उपक्रम/राज्य सरकार पब्लिक सेक्टर उपक्रम/केन्द्र/राज्य सरकार में 4600–7250/4400–7000 या इसके समतुल्य वेतनमान में कनिष्ठ सहायक के रूप में की गई सेवा सहित लिपकीय वर्ग में 8 (आठ) वर्ष की नियमित सेवा ।	
कनिष्ठ सहायक	(क) स्नातक उपाधि के साथ टंकण, कम्प्यूटर टंकण, प्ररूपण, लेखा/वित्तीय मामलों तथा कार्यालय प्रक्रिया में दक्षता ;	(क) कार्यालय प्रबन्धन या कम्पयुटर प्रचालन में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र या कम्पयूटर प्रचालन में 1 (एक) वर्ष का कार्य करने का अनुभव ;
	(ख) शासकीय नियमों, विनियमों तथा कार्यालय अभिलेखा अनुरक्षण में दक्षता ;	
	(ग) केन्द्र/राज्य सरकार/पब्लिक सैकटर उपक्रम में सदृश पर पद कार्यरत हो या केन्द्र सरकार पब्लिक सैकटर उपक्रम/राज्य सरकार पब्लिक सैकटर उपक्रम/केन्द्र/राज्य सरकार में 3480–6500 वेतनमान में एल0 डी0 सी0 (लोअर डिविजन कलर्क के रूप में 3 (तीन) वर्ष की नियमित सेवा की हो ।	
चालक	(क) मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से मैट्रीकुलेशन ;	
	(ख) लाईट व्हिकल लाईसेंस धारक ;	
	(ग) दोनों पर्वतीय/मैट्रोपोलिटन क्षेत्रों में लाईट व्हिकल चलाने का 3 (तीन) वर्ष का अनुभव ;	
जमादार/हवलदार	(क) मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से मैट्रीकुलेशन ;	
	(ख) शारीरिक तौर पर स्वस्थ ;	
	(ग) केन्द्र सरकार पब्लिक सैकटर उपक्रम/राज्य सरकार पब्लिक सैकटर उपक्रम/केन्द्र/राज्य सरकार में 2720–4775 या इसके समतुल्य वेतनमान में चपड़ासी/डाकवाहक के रूप में 5 (पांच) वर्ष का अनुभव ।	
चपड़ासी	(क) मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से मैट्रोकुलेशन ;	
	(ख) शारीरिक तौर पर स्वस्थ ।	

[*Authoritative English Text of the Himachal Pradesh Ombudsman (Adhikari Tatha Karamchari Vrind Seva Nibandhan Tatha Sharten) Viniyam, 2004, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 5th April, 2004

No. HPERC/609(B).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, after previous publication, hereby makes the following regulations, namely:—

REGULATIONS

1. *Short title and commencement.*—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Ombudsman (Terms and Conditions of Service of Officers and Employees) Regulations, 2004.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Definitions.*—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(1) "Act" means the Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003) ;

(2) "appointing authority" mean the Electricity Ombudsman ;

(3) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission;

(4) "Commission" means the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission;

(5) "Electricity Ombudsman" means the person appointed by the Commission under section 42 (6) of the Act;

(6) "Schedule" means the Schedule appended to these regulations;

(7) "Selection Committee" means the Committee consitituted by the appointing authority in accordance with the provisions of these regulations for making recommendations for appointments to the posts in the office of the Electricity Ombudsman.

(8) "State Electricity Board" means the State Electricity Board for the State of the Himachal Pradesh constituted before the commencement of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), under sub-section (1) of section 5 of the Electricity (Supplly) Act, 1948 (43 of 1948) and includes its successors-in-interest ;

(9) other words and expressions used in these regulations, but not defined herein, shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Act.

3. *Categories of posts, pay scales and allowances.*—(1) The categories of officers and the employees of the office of the Electricity Ombudsman, their pay scales and strength shall be as shown in the Schedule-I.

(2) The scales of pay may be revised, by the Commission, as and when the corresponding scales of pay are revised by the State Electricity Board.

(3) The officers and employees of the Electricity Ombudsman shall be entitled to—

(*a*) draw dearness allowance, city compensatory allowance, capital allowance, conveyance allowance, secretarial/special allowance, electricity and house rent allowance ;

(*b*) avail facility for home travel /LTC ; newspapers and periodical ; and

(*c*) claim reimbursement of medical expenses and residential telephone charges ,

on such scale and subject to such conditions, as may be made applicable, from time to time, to its employees by the State Electricity Board.

(4) The staff strength indicated in Schedule-I shall also be treated as approval for the creation of the posts.

4. *Qualifications, experience and mode of appointment.*—(1) The educational qualifications and experience required for each post shall be as prescribed in Schedule-II.

(2) The officers and the employees of the Electricity Ombudsman shall be appointed by the Electricity Ombudsman on deputation or on contract basis.

5. *Deputation.*—(1) The Electricity Ombudsman may, on the occurrence of a vacancy, fill up the vacancies by deputation of officers/employees from a Government Department or a Public Sector Undertaking or any other autonomous body under the Central or State Government.

(2) The period of service of a person posted on deputation under these regulations by transfer on deputation from the Government or any Public Sector Undertaking or any other autonomous body shall be treated as continuous for the purposes of all service benefits.

(3) The standard terms and conditions prescribed by the Central Government, or as the case may be by the State Government, shall govern the fixation of pay.

(4) The person joining the service under these regulations on deputation shall be deemed to have entered into an agreement with the Electricity Ombudsman or the nominated authority, as the case may be, to repay the loans, advances and other sums due from them or otherwise perform the obligations undertaken by them to the Government or to the Public Sector Undertaking or to the autonomous body, which remain outstanding against them on the date of joining as per the original terms and conditions.

(5) The persons joining on deputation shall be eligible for contribution to the respective Provident Fund to which they are subscribing in the parent department. In case a person posted on deputation is a member of the Contributory Provident Fund, the cost of employer's contribution as applicable in each case, shall be borne as the office expenses of the office of the Electricity Ombudsman.

(6) Notwithstanding the fact the employee has not completed the period of deputation, the Electricity Ombudsman shall have the discretion to repatriate an employee, serving on deputation, to his parent department, on determining that the services of such employee are not required by his office.

6. *Appointments on contract basis.*—(1) With a view to obtain the services of experienced and qualified persons, the vacancies of officers and employees which remain unfilled on deputation, may be filled in by appointing suitable persons on contract basis for a period not exceeding two years at a time.

(2) In the case of recruitment on contract basis a consolidated pay package shall be decided in each case, which shall remain fixed during the period of contract.

(3) The remuneration may be revised, at the discretion of the appointing authority, when it decides to extend or renew the contract of an employee.

(4) The services of a person appointed on a contract basis may be terminated for good and sufficient reasons to be recorded in writing, after issue of one month's notice or payment of his pay package in lieu thereof.

(5) Persons retired on superannuation shall be eligible for appointment under these regulations on contract basis and no person appointed on contract basis shall serve after attaining the age of 65 years.

7. *Selection Committee.*—(1) All appointments to the various posts, whether on deputation or on a contract basis, shall be made on the recommendations of the Selection Committee.

(2) The Selection Committee shall consist of—

(*a*) for the posts of the Deputy Director, the Asstt. Director and the Private Secretary—

(1) the Electricity Ombudsman (in chair).

(2) a person to be nominated by the Chairperson of the Commission.

(*b*) for the remaining posts—

(1) the Electricity Ombudsman (in the chair).
(2) the Deputy Director.
(3) the Assistant Director.

(3) The Selection Committee may co-opt one or more persons as experts to assist it.

8. *Procedure of appointment.*—(1) The vacancies to be filled in by deputation shall be circulated to the Central/State Government Departments, the Central/State Public Sector Undertakings and other autonomous bodies with complete details of job requirements, requisite educational and professional qualifications, pay structure etc. giving at least eight weeks time for the prospective applicants to respond with respective particulars. However, in compelling circumstances this period may, for reasons to be recorded in writing, be reduced, to six weeks.

(2) The last date for submission of applications and details of place where applications alongwith requisite certificates of character/age/caste/domicile/educational qualifications are to be submitted and any prescribed format for the application, as may have been devised by the appointing authority, shall also be notified/circulated with such advertisement/circular.

(3) As per the policy of the State Govt. vacancies shall be reserved for the categories so specified.

(4) The applications received within the prescribed time limit shall be placed before the Selection Committee. The preliminary scrutiny shall indicate in a tabular form the details submitted by the individual candidates under various columns of the application forms and shall also mention the details of the testimonials and certificates attached by respective applicants indicating the fulfillment/non-fulfillment of eligibility criterion by the candidate.

(5) The Selection Committee, on the basis of such information, shall, within a period of seven days, decide about the further action to be taken for completion of selection process. It may decide to call certain candidates, found to be fulfilling the job requirements, for personal interview/test or for reasons to be recorded in writing make selection on the basis of information received with the application forms.

(6) After finalisation of process, the approval of the appointing authority shall be obtained and the merit list prepared by the Selection Committee shall be displayed on the notice board of the Electricity Ombudsman. The Selection Committee shall also prepare a list of candidates in order of merit for being kept on selection panel for being offered employment in the eventuality of any successful candidate not availing the offer of appointment within a reasonable time.

(7) The number of candidates empanelled shall ordinarily not exceed three persons and such a panel shall not be operative beyond six months of the date of announcement of results of the selection.

(8) In the eventuality of the selection process being undertaken again for want of suitable candidates, the entire procedure listed above shall be followed all over again.

9. *Formalities after appointment.*—(1) The successful candidates shall be informed about their appointment through registered post/speed post and shall be given two weeks time for joining their assignment and in the eventuality of their failure to join within the stipulated time, the offer of appointment shall stand cancelled. The appointing authority may, however, for reasons to be recorded in writing, relax this condition for a reasonable period in respect of deserving cases.

(2) The offer of appointment shall be followed by letter of appointment only after the selected candidate has furnished the original copies of various certificates of educational qualifications/experience/domicile and caste status before the competent authority in the office of the Electricity Ombudsman. Failure to furnish any such certificate within two weeks of issue of offer of appointment shall lead to cancellation of offer of appointment.

(3) In all such cases of cancellation of appointment, the offer of appointment shall be sent to the next empanelled candidate in the same manner as was done in case of originally selected candidate.

10. *Applicability of CCA and Conduct Rules.*—(1) The provisions of the Central Civil Services Conduct Rules, 1964 and Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, as applicable to the employees of the Government of Himachal Pradesh, shall be applicable to all officers/employees of the office of the Electricity Ombudsman except to those on deputation from the Government of India or other Governments/Organisations, who may be governed by the corresponding rules of their parent Government/organisation.

(2) The Electricity Ombudsman shall be the appointing authority and the disciplinary authority in respect of all officers and employees of his office and in relation to them the Chairperson shall be the appellate/reviewing authority.

(3) In respect of any service matter not specifically mentioned in these regulations, the service regulations of the Commission, the Government of Himachal Pradesh or the Government of India shall apply as may be decided by the Commission.

11. *Interpretation.*—If any question arises relating to the interpretation of these regulations, the decision of the Commission shall be final.

12. *Power to remove difficulties.*—The Commission may by order make such provisions or give such directions, not inconsistent with the provisions of these regulations, as it may deem necessary for the removal of any difficulty which may arise in giving effect to the provisions of these regulations :

Provided that no such order shall be made under this regulation after expiry of two years from the date of the commencement of these regulations.

By the Order of the Commission.
Sd/-

Secretary.

SCHEDULE-I

(*See* regulation 3)

Categories of Posts, Pay Scales and Strength of the Office of the Electricity Ombudsman

Name of the post	Staff Strength	Pay scale
Officers :		
Deputy Director	1	12500-400-14900-450-17600-500-19100.
Assistant Director	1	7750-250-8000-275-9100/10350-350-12100-400-14500 with initial start of Rs. 8550/-
Staff :		
Private Secretary	1	7750-250-8000-275-9100-300-10000-350-12100-400-13300.
Sr. Scale Stenographer	1	6750-250-8000-275-9100-300-10000-350-11050
Sr. Assistant	1	6300-200-6500-250-8000-275-9100-300-10000-350 10700.
Jr. Assistant	1	4600-175-5300-200-6500-250-7250
Driver	1	4600-175-5300-200-6500-250-7250
Jamadar/Havildar	1	2930-110-3480-130-4000-150-4600-175-5300
Peon	1	2720-100-2930-110-3480-130-4000-150-4600-175-4775

SCHEDULE-II

(*See* regulation 4)

Qualifications for the officers and staff of the Office of the Electricity Ombudsman

Name of the post	Minimum required qualifications	Additional Qualifications desirable
1	2	3
Deputy Director	(*a*) Bachelor Degree in Electrical/ Power Engineering or equivalent from a recognized university.	(*a*) Post Graduate Degree in Electrical/Power Engineering or Regulation or M.B.A. in power management from a recognised university.
	(*b*) 7 years experience in large public utility in Generation, Transmission and Distribution facilities.	(*b*) Experience in operation and maintenance of distribution system including commercial aspects of distribution (metering, billing and collection etc.) system.
	(*c*) Officers holding analogous posts with above experience or persons with 5 years regular service with the above experience in CPSUs/ Central/State Governments in the post carrying the pay scale of Rs. 7750—14500 with an initial start of Rs. 8550/- or equivalent.	(*c*) Familiarity with Electricity laws.
	(*d*) Good written and verbal communication skills.	
	(*e*) Strong computer literacy and skills.	
Assistant Director	(*a*) Bachelor Degree in Electrical/ Power Engineering or equivalent from a recognized university.	(*a*) Post Graduate Degree in Electrical/Power Engineering or Regulation or M.B.A. in power management from a recognised university.
	(*b*) 3 years experience in large public utility in Generation, Transmission and Distribution facilities. Or Officers holding analogous posts with above experience.	(*b*) Experience in operation and maintenance of distribution system including commercial aspects of distribution (metering, billing and collection etc.) system.
	(*c*) Good written and verbal communication skills.	(*c*) Familiarity with Electricity laws.
	(*d*) Strong computer literacy and skills.	

1	2	3
Staff:		
Private Secretary	(*a*) Graduate degree from a recognised university. (*b*) Well versed in computerised word processing. (*c*) Proficient in shorthand and typing. (*d*) Holding analogous post in Central/ State Govt./PSU or 3 years experience in the post carrying the pay scale of Rs. 7250—11500 or equivalent with the above experience.	(*a*) Experience of working as Personal Assistant to HOD for 5 years in Central/ State Govt. or any PSU/ Statutory bodies. (*b*) Diploma in office management and secretarial procedure.
Sr. Scale Stenographer	(*a*) Graduate with proficiency in typing (40 wpm), shorthand (80 wpm) and computing (8000 kdpm) ; (*b*) Diploma in typing and shorthand from a recognised institution ; or (*c*) Official holding analogous post in Central/State Govt./PSU or 3 years service in the post carrying the pay scale of Rs. 6100—9400 Central/ State Govt. or any PSU/Statutory bodies involving exposure to computer operations.	Diploma/certificate in management and secretarial procedure or equivalent from a recognised/ reputed institution.
Sr. Assistant	(*a*) Graduate with proficiency in typing, computing, drafting, accounting/financial matters and office procedures ; (*b*) Well versed in official rules and regulations, maintenance of Office records. (*c*) Holding analogous post in State Govt./Central Govt./PSU/Statutory bodies or 8 years regular service in clerical cadre including as a Jr. Asstt. in CPSU/SPSU/Central/ State Govt. in the pay scale of Rs. 4600-7250/4400-7000 or equivalent.	(*a*) Diploma in Office Management or Personnel Management. (*b*) Diploma or certificate course in computer application, or 3 years working experience in computer operation.

Jr. Assistant	(*a*) Graduate with proficiency in typing, computing, drafting accounting/financial matters and office procedures.	Diploma/Certificate Course in office management or computer application or 1 year working experience in computer operation and application.
	(*b*) Well versed in official rules and regulations, maintenance of office records.	
	(*c*) Holding analogous post in State Govt./Central Govt./PSU/statutory bodies or 3 years regular service as LDC in the pay scale of Rs. 3480—6500 in CPSU/SPSU/ Central/State Govt. or equivalent.	
Driver	(*a*) Matriculation from recognised Board of School Education. (*b*) Should possess light vehicle licence. (*c*) 3 years experience in driving light vehicles both in hilly/metropolitan areas.	
Jamadar/Havildar	(*a*) Matriculation from recognised Board of School Education ;	
	(*b*) Good physique.	
	(*c*) 5 years experience as Peon/Process Server in the pay scale of Rs. 2720-4775 or equivalent in CPSU/SPSU/ Central/State Govt.	
Peon	(*a*) Matriculation from recognised Board of School Education.	
	(*b*) Good physique.	

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, शिमला

अधिसूचना

शिमला, 5 अप्रैल, 2004

संख्या एच० पी० ई० आर० सी०.—निम्नलिखित प्रारूप विनियम, जिन्हें हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा, 42 की उप-धारा (5) के साथ पठित, धारा 181 और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 24 अक्तूबर, 2003 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु मंच

की स्थापना के लिये मार्गदर्शिका) विनियम, 2003 में संशोधन करने हेतु बनाने का प्रस्ताव करता है, एतद्द्वारा, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 की उप-धारा (3) द्वारा यथोपेक्षित के अनुसार उनसे आम प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और एतद्द्वारा यह नोटिस (सूचना) दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर, इनके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिन के अवसान पर किसी भी आक्षेप या सुझाव सहित, जो इस बाबत उक्त अवधि के भीतर प्राप्त हुआ हो/हुए हों ।

इस निमित आक्षेप या सुझाव सचिव, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, क्यौंथल कमर्शियल कम्पलैक्स, खलिनी, शिमला–171002 को सम्बोधित किये जाने चाहिए ।

प्रारूप विनियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ** ---(1) इन विनियमों का नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु मंच की स्थापना के लिए मार्गदर्शिका) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2004 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **विनियम 13 का प्रतिस्थापन** .—हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु मंच की स्थापना के लिये मार्गदर्शिका) विनियम, 2003 के विद्यमान विनियम 13 के स्थान पर निम्न विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"13. **विद्युत ओम्बुडसमैन को अभ्यावेदन** .—कोई व्यक्ति जो फोरम (मंच) के आदेश के कारण व्यथित है, आदेश पारित होने के चालीस दिन के भीतर, ऐसे प्ररूप और रीति में जैसे आयोग विनिर्दिष्ट करे विद्युत ओम्बुडसमैन को, अपनी शिकायत के प्रतितोष के लिए, अभ्यावेदन कर सकेगा :

परन्तु विद्युत ओम्बुडसमैन, यदि वह सन्तुष्ट है कि नियत कालावधि के भीतर अभ्यावेदन न दे सकने के पर्याप्त कारण विद्यमान हैं, तो वह, उक्त चालीस दिन की अवधि के बीतने पर भी, अभ्यावेदन प्राप्त कर सकेगा :

परन्तु यह और कि यहां मंच (फोरम) के आदेशानुसार कोई राशि संदत्त करनी अपेक्षित है, वहां जब तक अभ्यावेदन करने वाला, उस राशि का पचास प्रतिशत आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से संदत्त नहीं कर देता है विद्युत ओम्बुडसमैन अभ्यावेदन प्राप्त नहीं करेगा ।"

आयोग के आदेश द्वारा,
बी० एस० बक्शी,
सचिव ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 5th April, 2004

No. HPERC.—The following draft regulations, which the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission proposes to make, in exercise of the powers conferred by Section 181,

read w th sub-section (5) of section 42 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and section 21 of the General Clause Act, 1897 (10 of 1897) and all other powers enabling it in this behalf, to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulations, 2003, published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary) issue dated 24th October, 2003 are hereby published, as required by sub-section (3) of section 181 of the Electricity Act, 2003, for the information of all persons likely to be affected thereby;, and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objection or suggestion which may within the aforesaid period be received in respect thereto.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla- 171002.

Draft Regulations

1. *Short title and commencement.*—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commissin (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) (First Amendment) Regulations, 2004.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Substitution of the Regulation* 13.—For the existing regulation 13 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulations, 2003 the following regulation shall be substituted, namely:—

"13. *Representation to the Electricity Ombudsman.*—Any person aggrieved by an order made by the Forum may make a representation for the redressal of his grievance to the Electricity Ombudsman within a period of forty days from the date of the order, in such form and manner as may be specified by the Commission :

Provided that the Electricity Ombudsman may entertain a representation after the expiry of the said period of forty days if he is satisfied that there was sufficient cause for not making the representation within that period :

Provided further that the Electricity Ombudsman shall not entertain the representation made by any party, which is required to pay any amount in terms of an order of the Forum, unless the person making the representation has deposited, in the manner as may be specified by the Commission fifty per cent of that amount."

By order of the Commission.

Sd/-
Secretary.

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, शिमला

अधिसूचना

शिमला, 5 अप्रैल, 2004

संख्या एच0 पी0 ई0 आर0 सी0/609–बी.—हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 42 की उप-धारा (7) के साथ पठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व प्रकाशन के उपरान्त निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओम्बुडसमैन) विनियम, 2004 है ।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है ।

(3) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(1) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है ;

(2) "अधिनिर्णय" (पंचाट) से विनियम 12 के अधीन दिया गया अधिनिर्णय (पंचाट) या विनियम 11 के अधीन अधिननिर्णय (पंचाट) के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई करार अभिप्रेत है ;

(3) "आयोग" से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;

(4) "शिकायतकर्ता" (परिवादी) से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो विनियम 8 के अधीन परिवाद (शिकायत) द्वारा विद्युत ओम्बुडसमैन को अभ्यावेदन करता है ;

(5) "विद्युत ओम्बुडसमैन" से विद्युत अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (6) के अधीन आयोग द्वारा नियुक्त या पदाभिहित प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(6) "प्ररूप" से इन विनियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(7) "अभ्यावेदन" से विनियम 8 के अधीन किया गया अभ्यावेदन अभिप्रेत है ;

(8) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं परन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36), या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) या हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु मंच की स्थापना के लिए मार्गदर्शिका) विनियम, 2003 में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो कि उन्हें उन अधिनियमों/विनियमों में क्रमशः नियत किया गया है या उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में वह अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों/विनियमों में क्रमशः उनके हैं या उनके वहां न होने की दशा में उनके सही अर्थ होंगे जो विद्युत उद्योग में उनके समझे जाते हैं ।

3. नियुक्ति और पदावधि.—(1) इन नियमों द्वारा सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आयोग, किसी व्यक्ति को, जो विद्युत ओम्बुडसमैन के नाम से ज्ञात हो, पदाभिहित/नियुक्त कर सकेगा ।

(2) विद्युत ओम्बुडसमन, इस विनियम के अधीन अपने कार्य ग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् विद्युत ओम्बुडसमैन के रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

(3) खण्ड (1) के अधीन नियुक्त विद्युत ओम्बुडसमैन अपने कार्यालय के कृत्यों के लिए पूरा समय देगा ।

(4) विद्युत ओम्बुडसमैन ऐसा व्यक्ति होगा, जो योग्य, सत्यनिष्ठ और ख्याति प्राप्त हो, जिसे अभियान्त्रिकी (इंजनियरी), विद्युत उद्योग, विनियमन, विधि से सम्बन्धित समस्याओं का ज्ञान हो और जिसने, इन सम्बन्धित समस्याओं का निपटान करने में क्षमता दर्शित की हो तथा जिसने उक्त क्षेत्रों में किसी महत्वपूर्ण पद, जो किसी युटिलिटी के निदेशक बोर्ड में निदेशक या सरकार के अधीन किसी समतुल्य पद के नीचे का न हो, पर काम किया हो ।

(5) विद्युत ओम्बुडसमैन को संदेय वेतन व भत्ते तथा नियुक्ति के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जो आयोग द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाएं और उसका भुगतान अधिनियम की धारा 103 के अधीन गठित निधि से किया जाएगा ।

परन्तु उस अवधि में जब तक निधि गठित की जाती है या तत्पश्चात् आयोग के मत में यथासाध्य शीघ्र उचित हो, विद्युत ओम्बुडसमैन को देय पारिश्रमिक तथा अन्य भत्ते वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा, ऐसे अनुपात में जैसे आयोग द्वारा अवधारित किया जाए, धारित किये जाएंगे ।

(6) विद्युत ओम्बुडसमैन अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, और ऐसी रीति और ऐसे प्ररूप में जैसा आयोग द्वारा अवधारित की जाएं, पद और गोपनीयता की शपथ अध्यक्ष के समक्ष लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

(7) आयोग, आदेश द्वारा विद्युत ओम्बुडसमैन को उसके पद से हटा सकेगा यदि वह—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ;
(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ;
(ग) विद्युत ओम्बुडसमैन के रूप में कार्य करने में शारीरिक और मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है ;
(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लेता है जिस से विद्युत ओम्बुडसमैन के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है :
(ङ) अपनी स्थिति (पोजिशन) का इस प्रकार दुरूपयोग करता है, जिस से उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; या
(च) सिद्ध कदाचार का दोषी रहा है :

परन्तु यह कि विद्युत ओम्बुडसमैन को उप-खण्ड (घ), (ङ) और (च) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर अपने पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि, आयोग के अध्यक्ष ने जांच पर अभिनिर्धारित न कर लिया हो कि विद्युत ओम्बुडसमैन को ऐसे आधार या आधारों पर पद से हटा दिया जाए ।

(8) विद्युत ओम्बुडसमैन, तीन मास की लिखित सूचना (नोटिस) या सूचना (नोटिस) की अवधि के बदले तीन मास की समेकित उपलब्धियां संदत्त कर अपने पद का त्याग कर सकेगा ।

4. **क्षेत्रीय अधिकारिता**.—विद्युत ओम्बुडसमैन की क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य पर है ।

5. **कार्यालय का अवस्थान और अस्थाई मुख्यालय**.—विद्युत ओम्बुडसमैन का कार्यालय उसी स्थान पर स्थित होगा जिस पर आयोग का कार्यालय स्थित है । अभ्यावेदनों के शीघ्र निपटारे हेतु विद्युत ओम्बुडसमैन अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर ऐसे स्थानों पर, जैसा वह अपने समक्ष लम्बित अभ्यावेदन या यथास्थिति विनिर्दिष्ट किसी मामले के सन्दर्भ में आवश्यक समझे, बैठकें कर सकेगा ।

6. **सचिवालय**.—(1) विद्युत ओम्बुडसमैन के लिए सचिवालय की व्यवस्था की जाएगी :

(2) सचिवालय का खर्चा अधिनियम की धारा 103 के अधीन गठित निधि से किया जाएगा :

परन्तु उस अवधि में जब तक कि निधि गठित की जाती है या तत्पश्चात् आयोग के मत में यथासाध्य शीघ्र उचित हो, सचिवालय का खर्चा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ऐसे अनुपात में, जैसे आयोग द्वारा अवधारित किया जाए, वहन किया जाएगा ।

7. **विद्युत ओम्बुडसमैन की शक्तियां और कर्त्तव्य**.—(1) अधिनियम तथा उसके तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुसार विद्युत ओम्बुडसमैन को फोरम (मंच) द्वारा शिकायतों का प्रतितोष न मिलने पर, या फोरम (मंच) के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त करने तथा ऐसे अभ्यावेदनों पर विचार करने और करार द्वारा या व्यथित पक्षकार तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी (लाईसैंसधारी) के बीच सुलह और मध्यस्थता के माध्यम से या अधिनिर्णय (पंचाट) से इनके समाधान या परिनिर्धारण करने की शक्ति होगी ।

(2) विद्युत ओम्बुडसमैन अपने कार्यालय पर अधीक्षण और नियन्त्रण की सामान्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और वहां के कारबार संचालन के लिए दायी होगा ।

(3) विद्युत ओम्बुडसमैन को अपने कार्यालय की ओर से व्यय उपगत करने की शक्तियां होंगी । ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विद्युत ओम्बुडसमैन, आयोग के अनुमोदन के पश्चात् अपने कार्यालय के लिए वार्षिक बजट बनाएगा और अनुमोदित बजट के भीतर व्यय की शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

8. **परिवाद (शिकायत)/अभ्यावेदन करने की प्रक्रिया**.—(1) कोई भी व्यक्ति जो—

(क) परिवाद पर फोरम (मंच) के आदेश से व्यथित है, ऐसे आदेश के विरुद्ध, ऐसे आदेश के 45 दिन के भीतर, प्ररूप–1 में विद्युत ओम्बुडसमैन को अभ्यावेदन कर सकेगा ;

(ख) फोरम (मंच) से उसकी शिकायत का प्रतितोष न मिलने पर व्यथित है, फोरम (मंच) के पास परिवाद (शिकायत) को दाखिल करने की तारीख से 3 मास के पश्चात्, प्ररूप–1 में विद्युत ओम्बुडसमैन को अभ्यावेदन कर सकेगा :

परन्तु विद्युत ओम्बुडसमैन, यदि वह सन्तुष्ट है कि इस उप-विनियम के अधीन, नियत कालावधि के भीतर अभ्यावेदन न दे सकने के पर्याप्त कारण विद्यमान हैं तो वह उक्त कालावधि के बीतने पर भी अभ्यावेदन प्राप्त कर सकेगा ।

(2) खण्ड (1) के पैरा (क) में अभ्यावेदन, और खण्ड (2) के पैरा (ख) में परिवाद (शिकायत), लिखित रूप में होगा और इसे करने वाले व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित होगा और उसमें निम्नलिखित विवरण स्पष्टतया होगा —

(क) व्यथित व्यक्ति का नाम और पता ;
(ख) उसका सर्विस–कुनैक्शन एकाउंट नम्बर और प्रवर्ग ;

(ग) उस वितरण अनुज्ञप्तिधारी का सैक्शन, उप-मण्डल, वृत्त तथा जोन (अंचल), जिसके विरुद्ध अभ्यावेदन किया गया है ;

(घ) तथ्य जिनके द्वारा अभ्यावेदन उद्भूत हुआ है जो अभिलेखों द्वारा, यदि कोई हों, समर्थित हो; और

(ङ) विद्युत ओम्बुडसमैन से मांगा गया अनुतोष (राहत) ।

(3) खण्ड (2) में अधिकथित अपेक्षाओं का अनुपालन करने पर उस विनियम के अधीन अभ्यावेदन ई-मेल के माध्यम से विद्युत ओम्बुडसमैन के ई-मेल आई० डी० पर "टैक्सट फारमैट" (Text Format) प्रारूप-1 में किए जा सकते हैं ।

(4) कोई भी अभ्यावेदन इस विनियम के अधीन नहीं होगा जब तक कि —

(क) इसे फोरम (मंच) के आदेश की तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर या ऐसे बढ़ाए हुए समय, जो विद्युत ओम्बुडसमैन द्वारा उसे व्यथित व्यक्ति द्वारा विलम्ब के लिए दर्शाए कारणों पर उनकी तुष्टि पर, अनुज्ञात किया जाए के भीतर न किया गया हो ;

(ख) इसे पूर्वतर उसी अनुतोष के लिए उसी व्यथित व्यक्ति द्वारा न किया गया हो ;

(ग) यह उसी विषय वस्तु से सम्बन्धित नहीं है जिसके लिए कोई भी कार्यवाही किसी भी न्यायालय के समक्ष लम्बित है या कोई डिक्री या अधिनिर्णय या अन्तिम आदेश किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किया गया है ;

(घ) व्यथित व्यक्ति ने, यदि उससे फोरम (मंच) के किसी आदेश के निबन्धनों के अनुसार राशि संदत्त करना अपेक्षित हो, उस राशि का पच्चास प्रतिशत (50 प्रतिशत) जमा न करवाया हो ।

9. **परिवाद (शिकायत)/अभ्यावेदन का अस्विकृत किया जाना.**—(1) विद्युत ओम्बुडसमैन किसी भी अवस्था में (स्तर पर) परिवाद (शिकायत)/अभ्यावेदन को अस्वीकार कर सकेगा यदि उसे प्रतीत होता है कि —

(क) यह तुच्छ तंग करने वाला, असद्भावपूर्वक है; या

(ख) यह बिना किसी पर्याप्त हेतुक के है; या

(ग) इसकी पैरवी व्यथित व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त तत्परता के साथ नहीं की गई है ; या

(घ) प्रथम दृष्टया इसे करने वाले व्यक्ति को कोई हानि या असुविधा कारित नहीं होती है ।

(2) विद्युत ओम्बुडसमैन उसे किए गए अभ्यावेदन को किसी भी स्तर पर अस्वीकार कर सकेगा यदि इस पर विचार करने तथा उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर विद्युत ओम्बुडसमैन की यह राय है कि अभ्यावेदन की जटिल प्रकृति के कारण विस्तृत दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य पर विचार अपेक्षित है और विद्युत ओम्बुडसमैन के समक्ष कार्यवाहियां न्यायनिर्णयन के लिए समुचित नहीं है । इस बाबत विद्युत ओम्बुडसमैन का विनिश्चय अन्तिम तथा परिवादी और वितरण अनुज्ञप्तिधारी पर आबद्धकर होगा ।

10. **जानकारी मांगने की शक्ति.**—(1) विद्युत ओम्बुडसमैन व्यथित द्वारा उसे किए गए अभ्यावेदन को रजीस्ट्रीकृत करने के पश्चात् रजीस्ट्रीकरण के 7 दिन के भीतर, इससे सम्बन्धित अभिलेख को सम्बन्धित फोरम (मंच) से मांग सकेगा । सम्बन्धित फोरम (मंच) ऐसे नोटिस की प्राप्ति के पन्द्रह (15) दिन के भीतर समस्त अभिलेख को विद्युत ओम्बुडसमैन के कार्यालय को भेजा देगा ।

(2) अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए, विद्युत ओम्बुडसमैन परिवाद में नामित वितरण अनुज्ञप्तिधारी या उसके किसी भी अधिकारी से परिवाद की विषयवस्तु में सम्बन्धित किसी भी दस्तावेज, जो उसके कब्जे में है या उसके कब्जे में अभिकथित है की सत्यापित प्रतियां पन्द्रह (15) दिन के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा :

परन्तु इस खण्ड के अधीन दिए गए निदेश के अनुपालन में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के, बिना किसी पर्याप्त हेतुक के, असफल रहने कि दशा में यदि विद्युत ओम्बुडसमैन उचित समझे यह अनुमान लगा सकता है कि यदि सूचना दी जाती है या प्रतियां प्रस्तुत की जाती हैं तो वे वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अननुकूल होंगी और तब फाइल पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आगामी कार्यवाही कर सकेगा ।

(3) विद्युत ओम्बुडसमैन अपने कर्तव्य के निर्वहन के अनुक्रम में, उसकी जानकारी या कब्जे में आई किसी गोपनीय सूचना या दस्तावेज की गोपनीयता को बनाए रखेगा और सूचना देने वाले या दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की सहमति के बिना ऐसी सूचना या दस्तावेज को किसी भी व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा :

परन्तु इस खण्ड की कोई भी बात विद्युत ओम्बुडसमैन को किए गए अभ्यावेद में किसी पक्षकार द्वारा दी गई सूचना या दस्तावेज को दूसरे पक्षकार को उस हद तक जितना वह कार्यवाहियों में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त तथा उचित न्याय के अनुपालन में तथा पारदर्शिता हेतु युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित समझें प्रकट करने में निवारित नहीं करेगी ।

11. **करार द्वारा शिकायत का निपटान.**—(1) यथाशक्य शीघ्रता से, परन्तु विनियम 10 के अधीन अभिलेख की प्राप्ति से एक सप्ताह के अपश्चात् विद्युत ओम्बुडसमैन, परिवाद में नामित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के सम्बन्धित अधिकारी को परिवाद की एक प्रति सहित, नोटिस की तामील करेगा और सुलह या मध्यस्थता के माध्यम से व्यथित पक्षकार और वितरण अनुज्ञप्तिधारी के बीच करार द्वारा शिकायत के निपटान के लिए प्रयास करेगा ।

(2) शिकायत के निपटान को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए, विद्युत ओम्बुडसमैन ऐसी प्रक्रियाओं जिन्हें वह समुचित समझे का अनुसरण करेगा ।

(3) जब किसी शिकायत के बारे में यह सूचित किया जाता है कि यह आपसी करार द्वारा निपटा दी गई है और दोनों पक्षकारों द्वारा उसकी रिपोर्ट लिखित रूप में विद्युत ओम्बुडसमैन को दे दी गई है तब विद्युत ओम्बुडसमन करार के आधार पर आदेश देगा । ऐसे आदेश की प्रतियां, आपसी करार के अभिलिखित किए जाने की तारीख से 7 दिन के भीतर व्यथित व्यक्ति और वितरण अनुज्ञप्तिधारी को भेजी जाएगी ।

(4) विद्युत ओम्बुडसमैन के आदेश की प्राप्ति के तीस (30) दिन के भीतर वितरण अनुज्ञप्तिधारी आपसी निपटान के करार का अनुपालन करेगा और अनुपालन की तारीख की रिपोर्ट करेगा ।

12. **मामले की सुनवाई और अधिनिर्णय** — (1) जहां शिकायत को विनियम 11 के अधीन करार द्वारा नहीं निपटाया गया है तो विद्युत ओम्बुडसमैन —

(क) मामले की सुनवाई की रीति, स्थान तारीख और समय अवधारित करेगा ;

(ख) पक्षकारों के अभिवचनों को सुनेगा या पक्षकारों को मामले में प्रस्तुतियों के लिखित कथनों को प्रस्तुत करने का निर्देश देगा ;

(ग) उन कारणों जिन्हें वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे सहित लिखित और आज्ञापक आदेश पारित करेगा ; और

(घ) तथाकथित आदेश के आधार पर पूर्ण ब्यौरे सहित अधिनिर्णय (पंचाट) देगा ।

(2) विद्युत ओम्बुडसमैन यथाशक्यशीघ्र, न कि परिवाद के प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के अपश्चात् खण्ड (1) के अधीन अधिनिर्णय (पंचाट) देगा तथा अधिनिर्णय की एक प्रति व्यथित व्यक्ति, वितरण अनुज्ञप्तिधारी और आयोग को भेजेगा ।

(3) अधिनिर्णय दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और अनुज्ञप्तिधारी, अधिनिर्णय की अनुपालना, अधिनिर्णय की प्राप्ति के तीस (30) दिन के भीतर करेगा और अनुपालना की तारीख की रिपोर्ट ओम्बुडसमैन के साथ-साथ आयोग को भी देगा ।

13. **अधिनिर्णय या करार का प्रवर्तन.**—(1) विनियम 11 के अधीन किए गए आपसी करार या विनियम 12 के अधीन किए गए अधिनिर्णय का अनुपालन न होने की दशा में, व्यथित व्यक्ति या विद्युत ओम्बुडसमैन, अधिनिर्णय के प्रवर्तन के लिए आयोग के समक्ष आवेदन दाखिल कर सकेगा ।

(2) खण्ड (1) के अधीन ऐसे निर्देश पर आयोग अधिनिर्णय के प्रवर्तन के लिए समुचित कार्यवाही करेगा ।

14. **कालिक कथन.**—वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के पश्चात् एक माह के भीतर प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी के सम्बन्ध में विद्युत ओम्बुडसमैन प्ररूप–2 में आयोग को एक त्रैमासिक विवरण, विद्युत ओम्बुडसमैन द्वारा प्रत्येक प्रवर्ग में प्राप्त तथा विवरण के अन्तर्गत आने वाली अवधि के दौरान निपटाए अभ्यावेदनों की संख्या विनिर्दिष्ट करते हुए प्रस्तुत करेगा ।

15. **विद्युत ओम्बुडसमैन की रिपोर्ट.**—(1) विद्युत ओम्बुडसमन प्रत्येक वर्ष 31 मई तक आयोग को एक रिपोर्ट, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्यालय के क्रियाकलापों का साधारण पुनर्विलोकन (समीक्षा) अंत विष्ट हो, भेजेगा और ऐसी अन्य सूचना प्रस्तुत करेगा जैसी आयोग निर्दिष्ट करें ।

(2) आयोग, यदि लोकहित में ऐसा करना उचित समझे, विद्युत ओम्बुडसमैन से प्राप्त रिपोर्ट और सूचना को ऐसे संक्षिप्त प्ररूप में, अन्यथा जैसा वह उचित समझें, प्रकाशित करवा सकेगा ।

16. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.**—यदि इन विनियमों में किसी भी उपबन्ध को लागू करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो आयोग, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, फोरम (मंच) या विद्युत ओम्बुड-समन को ऐसी समुचित कार्रवाई, जो अधिनियम के असंगत न हो और आयोग को कठिनाई दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक तथा समचीन लगती हो, करने के लिये निर्देशित कर सकेगा ।

16. **व्यावृत्तियां.**—इन विनियमों की कोई भी बात उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) सहित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उपभोक्ता के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

आयोग के आदेश द्वारा,

जी० एस० बक्शी,
सचिव ।

प्ररूप–1

(विनियम 8 देखें)

विद्युत ओम्बुड्समैन के समक्ष अभ्यावेदन

. . . . .वर्ष का अभ्यावेदन संख्या . . . .

तारीख . . . .

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

सेवा में,

विद्युत ओम्बुड्समैन

. . . .

. . . .

(पता)

मान्यवर,

विषय . . . .

(वितरण अनुज्ञप्तिधारी का नाम)

. . . .

के विरुद्ध शिकायत।

1. उपभोक्ता का नाम . . . .

2. उपभोक्ता का पूरा पता . . . .

पिन कोड . . . .

दूरभाष नम्बर/फैक्स नम्बर . . . .

3. वितरण अनुज्ञप्तिधारी का नाम व पूरा पता . . . .

पिन कोड . . . .

दूरभाष नम्बर/फैक्स नम्बर . . . .

4. कुनैक्शन तथा उपभोक्ता खाता नम्बर का विवरण . . . .

(कृपया कुनैक्शन की प्रकृति लिखें)

5. वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता द्वारा दिए गए अभ्यावेदन की तारीख . . . .

(कृपया अभ्यावेदन की तीन प्रतियां संलग्न करें)।

6. अभ्यावेदन की विषय वस्तु . . . .

7. अभ्यावेदन का ब्यौरा

(यदि जगह पर्याप्त नहीं है तो पृथक पन्ना लगाएं)।

8. क्या उपभोक्ता को फोरम (मंच) का अन्तिम विनिश्चय मिल गया है?

[यदि हां, तो फोरम (मंच) के आदेश, जिसके द्वारा अन्तिम विनिश्चय सूचित किया गया हो, की ती[illegible]

प्रतियां संलग्न करें]।

9. विद्युत ओम्बुडसमैन से मांगी गई राहत .....

(अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, की तीन प्रतियां संलग्न करें)।

10. यदि उपभोक्ता ने प्रतिकर के लिए दावा किया है तो आर्थिक हानि (यदि कोई हो) का प्रकार और परिमाण .....

(यह दर्शाते हुए कि उक्त हानि वस्तुतः वितरण अनुज्ञप्तिधारी की अभिकथित कार्रवाई, कार्य या लोप का प्रत्यक्ष परिणाम है, दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, संलग्न करें)।

11. संलग्न दस्तावेजों की सूची .....

(कृपया सभी दस्तावेजों की तीन प्रतियां संलग्न करें)

12. घोषणा —

(क) मैं/हम उपभोक्ता घोषित करता हूं/करते हैं :–

(1) कि इसमें ऊपर दी गई सूचना सत्य और ठीक है ;

(2) कि मैंने/हमने उपरोक्त स्तम्भों में और दिये गए दस्तावेजों में कोई भी तथ्य न ही छिपाया है और न ही दुर्व्यपदर्शित किया है ;

(ख) कि मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार मैंने/या हममें से किसी ने भी या विषयवस्तु से सम्बद्ध किसी पक्षकार ने मेरे/हमारे अभ्यावेदन की विषयवस्तु के सम्बन्ध में कभी भी विद्युत ओम्बुडसमैन के कार्यालय में कोई अभ्यावेदन नहीं दिया है ;

(ग) कि किसी पूर्वगामी कार्यवाहियों में विद्युत ओम्बुडसमैन के कार्यालय के माध्यम से मेरे/हमारे अभ्यावेदन की विषयवस्तु का परिनिर्धारण नहीं किया गया है ;

(घ) कि अभ्यावेदन की विषयवस्तु पर, किसी भी प्राधिकरण/न्यायालय/मध्यस्थ ने कोई विनिश्चय नहीं लिया है ;

या

वर्तमान अभ्यावेदन की विषयवस्तु तारीख ..... (उस तारीख जिसको अभ्यावेदन दिया गया का उल्लेख करें) से .....

(प्राधिकरण/न्यायालय/मध्यस्थ, जिसके समक्ष मामला है का उल्लेख करें) के पास लम्बित है और उसके अन्तिम रूप में न्यायनिर्णीत करने के लिए कार्यवाहियों में समय लगने की सम्भावना है।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(स्पष्ट शब्दों में उपभोक्ता का नाम)

नामनिर्देशन.—यदि उपभोक्ता, वियुक्त ओम्बुडसमन के समक्ष या विद्युत ओम्बुडसमैन के कार्यालय में हाजिर होने या अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहता है तो उसे निम्नवत घोषणा देनी होगी :—

"मैं/हम, उपरिनामित उपभोक्ता, श्री/श्रीमती ....., जो अधिवक्ता नहीं है तथा जिनका पता ..... है को एतद्द्वारा कार्यवाहियों के लिए/अपना/हमारा प्रतिनिधि नामनिर्देशित करता हूं/करते हैं और पुष्टि करता हूं/करते हैं कि उनके द्वारा किया गया कथन, स्वीकारोक्ति या अस्वीकृति मुझे/हमें आबद्धकर होगी। उसने मेरी उपस्थिति में नीचे हस्ताक्षरित किया है।

....

(उपभोक्ता के हस्ताक्षर) (प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

प्ररूप 2

(विनियम 14 देखें)

.....को समाप्त होने वाली तिमाही का सामयिक विवरण ।

वितरण अनुज्ञप्तिधारी का नाम .....

क्रम संख्या	प्राप्त अभ्यावेदन की स्थिति	प्राप्त अभ्यावेदनों की प्रकृति							योग
		विद्युत प्रदाय में विलम्ब	वोल्टेज की गुणवत्ता	विद्युत प्रदाय में रुकावटें	मीटर सम्बन्धित समस्याएं	बिल सम्बन्धित समस्याएं	टैरिफ सम्बन्धित समस्याएं	अन्य (लिखें)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पिछली तिमाही के अन्त में लम्बित अभ्यावेदन ।								
2.	तिमाही के दौरान प्राप्त अभ्यावेदन ।								
3.	कुल अभ्यावेदन (1+2)								
4	तिमाही के दौरान निपटाए गए अभ्यावेदन ।								
5	शेष अभ्यावेदन (3—4)								
6.	तीन माह से अधिक समय से लम्बित अभ्यावेदन ।								

टिप्पणी : तीन माह से अधिक समय से लम्बित अभ्यावेदनों का ब्यौरा अलग से दें ।

[*Authoritative English text of the Himachal Pradesh Vidyut Viniyamak Ayog (Vidyut Ombudsman) Viniyam*, 2004, *as required under Clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 5th April, 2004

No. HPERC/609(B).—In exercise of the powers conferred by section 181 read with sub-section (7) of section 42 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers

enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, after eprvious publication, makes the following regulations, namely:—

REGULATIONS

1. *Short title, extent and commencement.*—These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Electricity Ombudsman) Regulations, 2004.

(2) These regulations shall extend to whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Definitions.*—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(1) "Act" means the Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003) ;

(2) "award" means an award made under regulation 12 or an agreement registered as an award under regulation 11 ;

(3) "Commission" means the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission ;

(4) "complainant" means a person who represents by way of a complaint to the Electricity Ombudsman under regulation 8;

(5) "Electricity Ombudsman" means an authority appointed or designated by the Commission as Ombudsman, under sub-section (6) of Section 42 of the Electricity Act, 2003 ;

(6) "Form" means form appended to these regulations ;

(7) "representation" means a representation made under regulation 8 ;

(8) the words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), or the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986) or the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishmeht of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulations, 2003 shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts/Regulations or in absence thereof, the meanings as understood in the electricity industry.

3. *Appointment and tenure.*—(1) The Commission will designate/appoint a person to be known as Electricity Ombudsman to carry out the functions entrusted to him by these regulations.

(2) The Electricity Ombudsman under this regulation shall hold office for a term of three years from the date he enters upon his office and he shall not be eligible for reappointment :

Provided that the Electricity Ombudsman shall not hold office as such after he has attained the age of 65 years.

(3) The Electricity Ombudsman appointed under Clause (1) shall devote his whole time to the affairs of his office.

(4) The Electricity Ombudsman shall be a person of ability, integrity and standing who has adequate knowledge of and has shown capacity in dealing with problems relating to engineering, electricity industry, regulations and law and has held strategic positions in the said fields at the level not below that of the Director on the Board of Directors of a Utility or equivalent position under the Government.

(5) The salary, allowances payable to and other terms and conditions of appointment of the Electricity Ombusdman will be such as may be determined by the Commission from time to time and shall be paid out of the Fund Constituted under section 103 of the Act :

Provided that till the time Fund is constituted or as may be reasonably practicable thereafter in the opinion of the Commission, the remuneration and other allowances payable to the Electricity Ombudsman shall be borne by the distribution licensees in such proportion and in such manner as may be determined by the Commission.

(6) The Electricity Ombudsman shall before entering upon his office, make and subscribe to, before the Chairperson of the Commission, an oath of office and secrecy in such manner and form as may be determined by the Commission.

(7) The Commission may, by order, remove from office the Electricity Ombudsman if he—

(*a*) has been adjudicated insolvent ;

(*b*) has been convicted of an offence which involves moral turpitude ;

(*c*) has become physically or mentally incapable of acting as Electricity Ombudsman ;

(*d*) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as Electricity Ombudsman ;

(*e*) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest ;

(*f*) has been guilty of proved misbehaviour :

Provided that the Electricity Ombudsman shall not be removed on any ground specified in sub-clauses (*d*), (*e*) and (*f*) unless the Chairperson of the Commission has, on an enquiry, held that the Electricity Ombudsman ought on such ground or grounds be removed.

(8) The Electricity Ombudsman may, by giving three month's written notice or paying three month's consolidated emoluments in lieu of the notice period, resign from his office

4. *Territorial jurisdiction* —The territorial limits of Electricity Ombudsman shall extend to the whole of the State of Himachal Pradesh.

5. *Location of office and temporary headquarters.*—The office of the Electricity Ombudsman will be located at the same station where the office of the Commission is located. In order to expedite disposal of representations, the Electricity Ombudsman may hold sittings at such places within his area of territorial juridsiction as may be considered necessary and proper by him in respect of a representation or as the case may be of reference, before him.

6. *Secretariat.*—(1) The Electricity Ombudsman shall be provided with a Secretariat.

(2) The expenses of the Secretariat shall be paid out of the Fund constituted under section 103 of the Act :

Provided that till the time Fund is constituted or as soon as may be reasonably practicable thereafter in the opinion of the Commission, the expenses of the Secretariat shall be borne by the Distribution Licensee in such proportion and in such manner as may be determined by the Commission.

7. *Powers and duties of the Electricity Ombudsman.*—(1) The Electricity Ombudsman shall have the power to receive the representations for the non-redressal of grievances by the Forum or against the order of the Forum and consider such representations and facilitate their satisfaction or settlement by agreement, through conciliation and mediation between a distribution licensee and the aggrieved party or by passing an award in accordance with the Act and the Rules or the Regulations made thereunder.

(2) The Electricity ombudsman shall exercise general powers of superintendence and control over his office and shall be responsible for the conduct of business thereat.

(3) The Electricity Ombudsman shall have the powers to incur expenditure on behalf of his office. In order to exercise such powers, the Electricity Ombudsman will draw up an annual budget for his office after approval of the Commission and shall exercise the powers of expenditure within the approved budget.

8. *Procedure for filing a complaint/representation.*—(1) Any person, who is aggrieved—

(*a*) by an order of the Forum made on a complaint, may represent in Form-1 against such order to the Electricity Ombudsman within a period of 45 days from the date of such order ;

(*b*) by non-redressal of his grievance by the Forum, after a period of three months from the date of his filing of the complaint with the Forum, may represent in Form-1 to the Electricity Ombudsman :

Provided that the Electricity Ombudsman may, after the expiry of the period fixed under this sub-regulation, entertain a representation, if he is satisfied that there was sufficient cause for not filing it within that period.

(2) The representation in para (*a*) of clause (1) and the complaint in para (*b*) of clause (1), shall be in writing duly signed by the person making it or his authorised representative and shall state clearly -

(*a*) the name and address of the aggrieved person ;

(*b*) his service connection account number and category ;

(*c*) the name and location of office, division, circle and zone of the distribution licensee against whom representation is sought to be made ;

(*d*) the fact giving rise in representation supported by documents, if any ; and

(*e*) relief sought from the Electricity Ombudsman.

(3) On complying with the requirements as laid down in Clause (2) the representation under this regulation can also be made through e-mail to the Electricity Ombudsman's E-mail ID, in the text format in Form-I.

(4) No representation under this regulation shall lie, unless—

(*a*) it is made within a period of 45 days from the date of the order of the Forum or within such extended time as may be allowed by the Electricity Ombudsman on his satisfaction of the reasons for delay shown by the aggrieved person ;

(*b*) it has not been made earlier for the same relief by the same aggrieved person ;

(*c*) it does not pertain to the same subject matter for which any proceedings before any court are pending or a decree or award or final order has been passed by any competent court ;

(*d*) the aggrieved person, if required to pay amount in terms of an order of the Forum, has deposited fifty per cent of that amount.

9. *Rejection of the complaint/representation.* –(1) The Electricity Ombudsman may reject the representation at any stage if it appears to him that it is—

(*a*) frivolous, vexatious, malafide ; or

(*b*) without any sufficient cause ; or

(*c*) not pursued by the aggrieved person with reasonable diligence ; or

(*d*) *prima Pacie*, there is no loss or inconvenience caused to the person making it.

(2) The Electricity Ombudsman may reject a representation made to it at any stage, if after its consideration and evidence produced before him the Electricity Ombudsman is of the opinion that the complicated nature of the representation requires consideration of elaborate documentary and oral evidence and the proceedings before the Electricity Ombudsman are not appropriate for its adjudication. The decision of the Electricity Ombudsman in this regard shall be final and binding on the complainant and the distribution licensee.

10. *Powers to call information.*—(1) After registering the representation made to it by the aggrieved person, the Electricity Ombudsman, within seven days of registration, shall call for record relating to it, from the concerned Forum. The concerned Forum shall send to the office of the Electricity Ombudsman the entire records within 15 days from the date of receipt of such notice.

(2) For the purpose of carrying out his duties, the Electricity Ombudsman may require the distribution licensee named in the complaint, or any of his officers, to furnish certified copies of any document relating to the subject matter of the complaint, which is or is alleged to be in its possession, within 15 days :

Provided that in the event of failure of a distribution to licensee to comply with the direction made under this Clause without any sufficient cause, the Electricity Ombudsman may, if he deems fit, draw the inference that the information, if provided or copies if furnished, would be unfavourable to the distribution licensee and proceed to settle the case on the basis of material available on record.

(3) The Electricity Ombudsman shall maintain secrecy of any confidential information or document coming into his knowledge or possession in the course of discharging his duties and shall not disclose such information or document to any person except with the consent of the person furnishing such information or document :

Provided that nothing in this clause shall prevent the Electricity Ombudsman from disclosing information or document furnished by a party in a representation made to it, to other party or parties, to the extent considered by him to be reasonably required to comply with the principles of natural justice and fair play and transparency in the proceedings.

11. *Settlement of grievance by agreement.*—(1) As soon as it may be practicable to do so, but not later than one week from the date of receipt of record under regulation 10, the Electricity Ombudsman shall serve a notice to the concerned officer of the distribution licensee named in the complaint, alongwith a copy of the complaint, and endeavour to promote a settlement of the grievance by agreement between the aggrieved party and the distribution licensee through conciliation or mediation.

(2) For the purpose of facilitating settlement of the grievance, the Electricity Ombudsman may follow such procedures, as he may consider appropriate.

(3) When a grievance is reported settled, through mutual agreement and reported to the Electricity Ombudsman by both parties in writing, the Electricity Ombudsman shall make an order, in terms of agreement. The copies of such order shall be sent to the aggrieved person and the distribution licensee concerned within 7 days from the date of recording of the mutual agreement.

(4) The distribution licensee shall comply with the agreement mutually settled within 30 days of receipt of order of the Electricity Ombudsman and report the date of compliance

12 *Hearing of the matter and awrad.*—(1) Where the grievance is not settled by agreement under regulation 11, the Electricity Ombudsman shall ;

(*a*) determine the manner, the place, the date and the time of the hearing of the matter ;

(*b*) hear the pleadings of the parties or direct the parties to submit written statements of submissions in the matter.

(*c*) pass a written and speaking order with reasons which he thinks fair in the facts and circumstances of the case ; and

(*d*) on the basis of said order, shall make, with full details, an award.

(2) The Electricity Ombudsman shall make an award under clause (1) as early as possible but not later than three months from the date of receipt of the complaint and send a copy of the award to the aggrieved person, distribution licensee and the Commission.

(3) The award shall be binding on both the parties and the licensee shall comply with the award within 30 days of receipt of award and report the date of compliance to Electricity Ombudsman and also to the Commission.

13. *Enforcement of award or agreement.*—(1) In case of non-compliance of mutual agreement made under regulation 11 or the award made under regulation 12 the aggrieved person, or the Electricity Ombudsman, may file an application for enforcement of award, with the Commission.

(2) On such reference under Clause (1) the Commission shall take appropriate action to enforce the award.

14. *Periodical Statements.*—Within a month after each quarter of the financial year, the Electricity Ombudsman shall furnish in Form-2 to the Commission a quarterly statement specifying the number of representations in each category received by the Electricity Ombudsman and settled in relation to each distribution licensee during the period covered by the statement.

15. *Report of Electricity Ombudsman.*—(1) The Electricity Ombudsman shall also send to the Commission, by 31st May every year, a report containing a general review of the activities of his office during the preceding financial year and furnish such other information as the Commission may direct.

(2) The Commission may, if it considers necessary in the public interest to do so, publish the report and the information received from the Electricity Ombudsman in such consolidated form or otherwise as it deems fit.

16. *Powers to Remove Difficulties.*—If any difficulty arises in giving effect to any provision of these regulations, the Commission may, by general or special order, direct the distribution licensee, the Forum or the Electricity Ombudsman to take suitable action, not being inconsistent with the Act, which appears to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

17. *Savings.*—Nothing contained in these regulations shall affect the rights and privileges of the consumers under any other law, for the time being in force, including under the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986)

By the Order of the Commission

Sd/-
Secretary.

FORM-I

(*See* regaulation-8)

REPRESENTATION BEFORE ELECTRICITY OMBUDSMAN

NO.....of year.....

Date.....

(To be filled up by office)

To

The Electricity Ombudsman
(Address).....

Dear Sir

Sub.—Grievance Against.....
(Name of the Distribution Licensee).

Being aggrieved the consumer named herein had submitted a representation to the Forum. Details of the Grievance are as under:—

1. Name of the Consumer.....

2. Full Address of the Consumer.....
Pin Code.....
Phone No. /Fax No .....

3. Name and full Address of the Distribution Licensee
Pin Code, Phone No./Fax No.....

4. Particulars of connection and Consumer Account No.
(Please state nature of connection).

.....

5. Date of representation by the Consumer to the Distribution Licensee

.....

(Please enclose three copies of the representation).

6 Subject matter of the representation.....

.....

7 Details of the representation .....
(If space is not sufficient, please enclose separate sheet)

.....
.....
.....
.....
.....

8. Whether the Consumer has received the final decision of the Forum?
(If yes, please enclose 'three copies' of the Forum's order conveying its final decision)

9. Nature of relief sought from the Electricity Ombudsman
.....

(Please enclose 'three copies' of documentary proof, if any, in support of your claim)

10. Nature and extent of monetary loss, if any, claimed by the consumer (if any) by way of compensation Rs.....

(Please enclose documentary proof, if any, to show that such losss is actual loss caused as a direct consequence of alleged act, omission or Commission of the Distribution Licensee).

11. List of Documents enclosed
(Please enclose 'three copies' of all the documents).

12. Declaration—

(*a*) I/We, the Consumer (s) herein declare that—

(1) the information furnished hereinabove is true and correct ; and

(2) I/We have not concealed or misrepresented any fact stated in aforesaid columns and the documents submitted herewith.

(*b*) The subject matter of my/our representation has never been brought before the office of the Electricity Ombudsman by me/or by any one of us or by any of the parties concerned with the subject matter to the best of my/our knowledge.

(*c*) The subject matter of my/our representation has not been settled through the office of the Electricity Ombudsman in any previous proceedings.

(*d*) The subject matter of the present representation has not been decided by any authority/court/arbitrator.

OR

The subject matter of the present representation is pending since (Please mention the date when the matter was filed).....Before.....(Please mention the name of the authority/court /arbitrator before whom the matter is pending) and the proceedings are likely to take time for being finally adjudicated.

Yours faithfully,

(Signature)
(Consumer's name in block letter).

Nomination.—If the Consumer wants to nominate his representative to appear and make submissions on his behalf before the Electricity Ombudsman or to the office of the Electricity Ombudsman, the following declaration should be submitted:—

I/We the above named Consumer hereby nominate Sh/Smt..... who is not an Advocate and whose address is..... .....as my/our representative in the proceedings and confirm that any statement, acceptance or rejection made by him /her shall be binding on me/us. He/She has signed below in my presence.

Accepted.

(Signature of Representative). (Signature of Consumer)

FORM-2

(*See* regulation-14)

MONITORING REPORT FOR THE QUARTER ENDING.....

NAME OF DISTRIBUTION LICENSEE.....

Sl. No.	Status of representation received	Nature of representations received							
		Delay in giving supply of electricity	Quality of voltage	Interruptions in supply	Metering problems	Billing problems	Tariff problems	Others (specify)	Total
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Representations pending at end of the last quarter.								
2.	Representations received during the quarter.								
3.	Total representations (1+2).								
4.	Representations attended during the quarter								
5.	Balance representations to be attended (3—4).								
6.	Representations pending for more than 3 months.								

Note.—The present status for each representations pending for more than three months may be furnished separately.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित